संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 27-11-2021**

आज दिनांक 27.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री राजेश मोदक** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा सकुशल नाबालिग अपहृता बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता को परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी मेहादवल **श्री अम्बरीश सिंह भदौरिया** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा **श्री जीतेन्द्र यादव** दिनांक 26.11.2021 को शाम पैदल गश्त पर थे कि थाना क्षेत्र के अतरी नानकार में एक नाबालिग लड़की के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। घटना (अपहृता के अपहरण) के संबन्ध में अपहृता के माता की लिखित तहरीर पर दिनांक 26.11.2021 को थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 93 / 2021 धारा 363 / 366 भादवि पंजीकृत किया गया तथा महिला संबन्धी अपराध के दृष्टिगत थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा द्वारा तत्काल हमराहियों एवं ग्रामवासियों के सहयोग से घटना में संलिप्त अभियुक्तनाम पता गोपाल पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम कलनाखोर, थाना खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर को थानाक्षेत्र के ग्राम मेहदुपार से अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अपहृता को सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया करते हुए गिफ्तार अभियुक्त को माननीय न्ययालाय रवाना किया गया।

बरामद करने वाली टीम का विवरण - थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा श्री जितेन्द्र यादव मय हमराह।

संतकबीरनगर पुलिस

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 362 / 2021 धारा 10 गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता इसरार पुत्र शहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत सेमरियावां के पास से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए आज दिनांक 27.11.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 29.09.2021 को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में शातिर गोतस्कर इसरार पुत्र शहीर को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया गया था तथा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से निष्कासन का आदेश दिया गया था । अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में निवास कर रहा था। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में आज दिनांक 27.11.2021 को उक्त अभियुक्त को थानाध्यक्ष दुधारा मय हमराह द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष दुधारा श्री सर्वेश राय, उ0नि0 श्री अमित कुमार चतुर्वेदी, हे0कां0 बृजेश पाण्डेय, हे0कां0 मोतीलाल यादव, कां0 अनूप यादव।

संतकबीरनगर पुलिस

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान कठिनैया पुल के पास से ओंकार मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा निवासी गौरापार थाना लालगंज जनपद बस्ती के कब्जे से 1 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 335 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र मिश्रा मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा नेशनल हाईवे पर ट्रक पलटने लगे जाम को कराया गया खाली – पीआरवी 1483 को थाना थाना कतोनवाली खलीलबाद क्षेत्र अन्तर्गत मगहर अन्तर्गत मार्ग दुर्घटना में ट्रक पटलने के कारण हाइवे पर जाम लगने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर सड़कज जाम को खुलवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत करया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर रास्ते के जाम को खुलवाया गया जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 राजकिशोर सिंह, मु0आ0 पन्नेलाल यादव, हो0चा0 राशिद अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 93 वाहनो से 66000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 93 वाहनो से 66000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।